

SCHOOL PASCOS COMMITTEE

1. यौन अपराध समिति (POCSO) से बच्चों की रोकथाम

शिक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए, वनस्थली स्कूल, ने 01 जनवरी 2023 को POCSO समिति (यौन अपराध से बच्चों की रोकथाम अधिनियम 2012 के प्रावधानों के तहत स्थापित) की स्थापना की है, समिति शिक्षार्थियों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों से बचाने की दिशा में काम करती है। स्कूल में उनके प्रारंभिक वर्ष, समिति यौन शोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आयु-उपयुक्त पहल करती है कि सभी शिक्षार्थी अपने अधिकारों और स्वयं के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक हों। दुर्व्यवहार और उपेक्षा के मुद्दों को पहचानने और रिपोर्ट करने के लिए संकाय और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। शिकायत पेटियों को रणनीतिक रूप से रख गया है और यदि कोई शिकायत हो तो उसका समाधान करने के लिए समिति के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है।

अपने जागरूकता अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से, समिति यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि सभी शिक्षार्थियों के साथ हर समय सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। पूरे वर्ष स्कूल में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों और विशेष स्कूल सभाओं की एक श्रृंखला में, शिक्षार्थी की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। आयु-उपयुक्त वीडियो दिखाए जाते हैं और जागरूकता कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में आत्मरक्षा सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम⁷ 2012- ये दिशा निर्देश शिक्षकों से लेकर सामुदायिक कल्याण संघों से लेकर पुलिस तक कई हितधारकों के लिए एक विधि के रूप में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएं और बच्चों को "संभावित दुर्व्यवहार के लक्षणों को पहचानने" के लिए सशक्त बनाया जाए। स्थितियाँ. इसने स्कूलों को परिसर में एक अनुकूल माहौल विकसित करके सक्रिय होने की सलाह दी है, जहां महिलाओं/छात्राओं की स्थिति का सम्मान किया जाता है और उनके साथ बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के समान व्यवहार किया जाता है। उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वनस्थली स्कूल ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक समिति का गठन किया है।

PASCSO समिति में शामिल पदाधिकारी

क्र.	सदस्य का नाम	पद नाम	मोबाईल नंबर
01	श्री मनोज कुमार तिवारी	पास्को समिति के अध्यक्ष	9425186337
02	श्रीमती दीप्ति अग्रवाल	प्राचार्य	9770366672
03	डॉ. मिहिर पाण्डेय	सदस्य	9111100493
04	श्रीमती प्रिया त्रिपाठी	सदस्य	9755450117
05	श्री ब्रजभूषण त्रिपाठी	सदस्य	8349491391
06	एडवोकेट के.पी. त्रिपाठी	अभिभावक सदस्य	6265647522
07	डॉ. पी.के. वर्मा	अभिभावक सदस्य	9826455592
08	श्रीमती मंजू जैन	अभिभावक सदस्य	9109543550
09	थाना प्रभारी महोदय	पुलिस प्रशासन	-

2. यौन उत्पीड़न समिति

लैंगिक समानता के बुनियादी मानव अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन और यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ गारंटी, विशेष रूप से कार्यस्थलों और स्कूलों में यौन उत्पीड़न के खिलाफ गारंटी प्रदान करने के लिए 1997 में जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दिशानिर्देशों के संबंध में, सीबीएसई ने 2004 से परिपत्र जारी किए हैं। सभी स्कूलों को एक स्थायी सेल और एक समिति स्थापित करने और स्कूलों में यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बदमाशी से निपटने के लिए दिशा-निर्देश विकसित करने की सलाह दी गई। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और नियम, 2012 सभी प्रकार के यौन अपराधों, रिपोर्टिंग तंत्र और उसके बाद के दंडात्मक परिणामों से संबंधित है।

3. समिति के पास जाने की प्रक्रिया

समिति वनस्थली स्कूल में यौन उत्पीड़न और बाल दुर्व्यवहार से संबंधित मुद्दों से निपटती है। यह सभी छात्रों, कर्मचारियों और संकाय पर लागू है। भेदभाव या यौन उत्पीड़न की शिकायत पीड़ित या तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज की जा सकती है। एक लिखित शिकायत समिति के अध्यक्ष को संबोधित की जा सकती है अथवा समिति के किसी सदस्य से की जाती है, तो वे इसे यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति के अध्यक्ष को भेज सकते हैं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार यौन उत्पीड़न को "अवांछनीय" यौन निर्धारित व्यवहार (चाहे सीधे या निहितार्थ द्वारा) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

**“दुर्व्यवहार एवं यौन उत्पीड़न निःसंदेह एक गलत आचरण है
इसके खिलाफ मिलकर कदम उठाएँ”**